झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विज्ञापन संख्या–07 / 2023
झारखण्ड नगरपालिका सेवा सम्वर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023

आवश्यक सूचना

दिनांकः– 02.11.2023

दिनांक 29.10.2023 को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के तत्त्वावधान में आयोजित झारखण्ड नगरपालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के दौरान 5 परीक्षा–केन्द्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न–पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियाँ होने, तथा कुछ सीलबन्द प्रश्न–पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका में पेपर–सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने, और एक परीक्षा–केन्द्र पर एक पाली में एक उत्तर–पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है ।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न–पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील के लगाये जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबुल पर उनकी प्रश्न–पुस्तिका परीक्षा प्रारम्भ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है, और परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील खोलकर प्रश्न देखना है, और इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख पाये। इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा–कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न–पुस्तिकाओं को एक पैकेट में सीलबंद रखा जाता है, और एक परीक्षा–केन्द्र के ऐसे सभी प्रश्न–पुस्तिका पैकेटों को एक कार्टून में सीलबंद रखा जाता है। उपरोक्त सीलबंद परीक्षा–केन्द्रवार कार्टून को परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केन्द्राधीक्षक के समक्ष खोला जाता है, और प्रत्येक परीक्षा–कक्ष के प्रश्न–पुस्तिका सीलबंद पैकेट को परीक्षा प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाता है ।

दिनांक– 29.10.2023 को आयोजित सभी विषयों की परीक्षाओं को सभी परीक्षा–केन्द्रों पर उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया है, और किसी भी परीक्षा–केन्द्र से उपरोक्त अनुसार सीलबंद किये गए परीक्षा–केन्द्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपरोक्त अनुसार सीलबंद किये गए परीक्षा–कक्ष प्रश्न–पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है । इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

किसी परीक्षा–केन्द्र पर किसी पाली में प्रश्न–पुस्तिका अथवा उत्तर–पुस्तिका कम पड़ जाने पर संबंधित परीक्षा–केन्द्र के सीलबंद कार्टून में उपलब्ध सीलबंद बफर–पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किये जाने का नियमानुसार प्रावधान है ।

उपरोक्त परीक्षा में मुद्रण–त्रुटि वाले प्रश्न–पुस्तिकाओं एवं इंडिविजुअल प्रश्न–पुस्तिका पेपर–सील क्षतिग्रस्त पाये गए प्रश्न–पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सीलबंद बफर–पैकेट से प्रतिस्थानी प्रश्न–पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई है, जो नियमानुसार है । फिर भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नांकित परीक्षा–केन्द्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न–पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियाँ होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा–केन्द्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

क्रमांक	परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र कोड	पाली	विषय
1.	संत पॉल कॉलेज, राँची	137	तृतीय	गणित एवं सामान्य ज्ञान
2.	संत थॉमस स्कूल, राँची	149	तृतीय	अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान
3.	वैली व्यू स्कूल, जमशेदपुर	161	द्वितीय	नागपुरी
4.	विद्या भारती चिन्मय विद्यालय, जमशेदपुर	162	द्वितीय	नागपुरी
5.	डी॰ए॰वी॰ पब्लिक स्कूल, अलकुसा, धनबाद	181	प्रथम	भाषा ज्ञान

उपरोक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा–केन्द्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा–कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार विडियोग्राफी करायी गई है, और विडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है, जिससे कि कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जाँच विडियोग्राफी से की जा सके ।

उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्त्वावधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑन–लाईन आवेदन–पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा–फल तैयार करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया उपरोक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित करायी जाती है, और उपरोक्त परीक्षा भी तद्नुसार संचालित करायी जा रही है ।

फिर भी, यदि किसी परीक्षार्थी को कोई विशेष सूचना अथवा विशिष्ट शिकायत देनी हो तो आयोग के वेबसाइट अथवा ई–मेल पर दे सकते हैं, जिन पर जाँचोपरान्त साक्ष्यानुसार अविलम्ब कार्रवाई की जायेगी ।

ह०/–

सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।